

ऑनलाइन
साक्षात्कार पत्र के निर्देशों
का अत्यंत सावधानीपूर्वक
अध्ययन कर व उन्हें
भली-भांति समझने के
पश्चात् इस पत्र के अंतिम
पृष्ठ पर उपलब्ध लिंक को
क्लिक करें।



प्रावधिक-पत्र
विज्ञापन की शर्तों के
अधीन

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

शंकर नगर मार्ग, रायपुर -492001
फोन न. -0771-2439562, 2446556 (फैक्स), वेबसाइट-www.psc.cg.gov.in

साक्षात्कार-पत्र

राज्य सेवा परीक्षा-2015

महोदय/महोदया,

राज्य सेवा परीक्षा-2015 के साक्षात्कार हेतु तिथि एवं समय अनुक्रमांकवार आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। साक्षात्कार से एक दिवस पूर्व मूल दस्तावेजों के सत्यापन हेतु आपको आयोग कार्यालय में उसी समय पर उपस्थित होना होगा, जो समय आपके साक्षात्कार हेतु निर्धारित किया गया है। उदाहरण के लिए यदि आपको साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में दिनांक 31/12/2016 को प्रातः 09:00 बजे उपस्थित होना है, तो आपको मूल दस्तावेजों के सत्यापन हेतु दिनांक 30/12/2016 को प्रातः 09:00 बजे ही उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

टीप- दिनांक 31/12/2016 से दिनांक 14/01/2017 तक केवल एक दिन 01/01/2017 को साक्षात्कार आयोजित नहीं होंगे तथा आयोग कार्यालय बंद रहेगा अतः जिन अभ्यर्थियों के साक्षात्कार दिनांक 02/01/2017 को होने हैं, उन्हें मूल दस्तावेजों के सत्यापन हेतु दिनांक 31/12/2016 को उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

2. साक्षात्कार के लिए निर्धारित तिथि/समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा साक्षात्कार तिथि के एक दिन पूर्व निर्धारित तिथि एवं समय में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि एवं समय में दस्तावेज सत्यापन नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। नीचे लिखे निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें एवं आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थिति दें।
- 2.1 राज्य सेवा परीक्षा-2015 के साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों की ऑनलाइन अग्रमान्यता अंकित करनी होगी। ऑनलाईन अग्रमान्यता केवल दिनांक 24/12/2016 से 28/12/2016 तक ही अंकित की जा सकेगी। अभ्यर्थी अच्छी गुणवत्ता के ए4 साइज पेपर पर अग्रमान्यता पत्रक का प्रिंट प्राप्त करेंगे। साथ ही उन्हें अन्य आवश्यक दस्तावेज आयोग की अधिकृत वेबसाइट से डाउन लोड करने होंगे। दस्तावेज सत्यापन के समय जांचकर्ता के समक्ष अपने साथ लाए गए अग्रमान्यता पत्रक के प्रिंट आउट तथा डाउनलोड किए गए अन्य दस्तावेजों को पूरी तरह भरकर तथा हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। ऑनलाइन अग्रमान्यता का अंकन अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा। अंकित की गई अग्रमान्यता के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त हेतु वे अन्य को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे। ऑनलाइन अग्रमान्यता भरने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा और न ही सुधार/परिवर्तन संबंधी किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन आयोग द्वारा स्वीकार किया जाएगा। (अतः अभ्यर्थी अग्रमान्यता पत्रक को पूर्ण सावधानी के साथ भरें।) निर्धारित अवधि में ऑनलाईन अग्रमान्यता दर्ज नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अग्रमान्यता, संबंधित विज्ञापन में विज्ञापित पदों के क्रम में ले ली जाएगी तथा इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
- 2.2 सफलतापूर्वक ऑनलाइन अग्रमान्यता पत्रक भरने के पश्चात् साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न चार दस्तावेज (1) जानकारी पत्रक (01 प्रति में), (2) अनुप्रमाणन-पत्र (03 प्रति में) (3) उपस्थिति पत्रक (01 प्रति में) तथा (4) व्यक्तिगत विवरण (06 प्रतियों में) डाउनलोड कर आवश्यक प्रविष्टियां कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुप्रमाणन पत्र एवं जानकारी पत्रक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं तथा इसमें त्रुटिपूर्ण/गलत जानकारी दिये जाने पर आपकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।
- 2.3 अनुप्रमाणन पत्रक के पहचान प्रमाण पत्र कॉलम में किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। अतः राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन कराकर ही अनुप्रमाणन पत्रक की हार्डकॉपी तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।
- 2.4 राज्य सेवा परीक्षा-2015 के पद के लिए आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन के अनुसार शैक्षणिक अर्हता - अभ्यर्थी के पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मंडलों के अधिनियम द्वारा निगमित/समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि (डिग्री) होनी चाहिए अथवा उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिये

- तथा इस संबंध में उपाधि प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।
- 2.5 यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, तो आवेदक को साक्षात्कार के लिये उपस्थित होने पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मध्यप्रदेश शासन के समय जारी किये गये प्रमाण पत्र का राज्य गठन के पश्चात् पुनर्वैधिकृत प्रमाण पत्र अथवा राज्य गठन के पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आपको अनर्ह करते हुए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
- 2.6 यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है तो राज्य गठन के पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किये गये अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, परन्तु यदि आप एकीकृत मध्य प्रदेश के समय का छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के अधीन जिले/अनुविभाग के द्वारा जारी किया गया "जाति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करते हैं तो उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को "गैर क्रीमीलेयर" में आने के संबंध में "आय प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा तभी राज्य गठन के पूर्व जारी "जाति प्रमाण पत्र" (उल्लेखित अनुसार आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर) मान्य होगा। उल्लेखित अनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आपको अनर्ह करते हुए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
- 2.7 छ.ग. राज्य के गठन के पश्चात् अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर छ.ग. शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यदि यह जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन में दर्शित अंतिम तिथि के 3 वर्ष पूर्व का हो, तो उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को गैर क्रीमीलेयर में आने के संबंध में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 2.8 यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर शासकीय/नीजि प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं तो नियोक्ता /सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- 2.9 यदि आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने के पश्चात् आपके उपनाम में परिवर्तन हुआ हो तो उपनाम परिवर्तन का शपथपत्र की दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।
- 2.10 जन्म तिथि के प्रमाण के संबंध में हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा से संबंधित मूल प्रति एवं दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 2.11 यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं तथा आपने विज्ञापन में दर्शित अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट क्लेम किया है तो छूट क्लेम किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 2.12 यदि आप निःशक्तजन हैं तो शारीरिक विकलांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो तो चिकित्सा मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति। **छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी निःशक्तजन ही मान्य होंगे।**
- 2.13 विज्ञापन की कंडिका 15(iii) के अनुसार – छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किये गये हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हो (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित अभ्यर्थी मान्य नहीं होंगे।) यदि वे भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (समक्ष अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में) अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक हैं। अतः संबंधित प्रमाण पत्र दो-दो प्रतियों में सत्यापित अथवा स्व प्रमाणित प्रस्तुत करना होगा।
- 2.14 विज्ञापन क्र. 08/2015/परीक्षा/दिनांक 28.11.2015 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक 08/2015/परीक्षा/दिनांक 28.12.2015 की कंडिका (21)(vi) के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा। अतः दो से अधिक जीवित संतान है तो अंतिम संतान का जन्म प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।

- 2.15 आपके द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2015 के लिए ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र की हॉर्ड कॉपी (प्रिंटआउट) की प्रति के साथ-साथ पहचान-पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस, आधार कार्ड या पेन कार्ड इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र की मूल प्रति एवं दो-दो छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
3. यदि आप उपरोक्तानुसार जानकारी (जो लागू होता है) के साथ उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको साक्षात्कार से वंचित किया जा सकेगा तथा आप उक्त पद हेतु वास्तव में सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति करते हैं अथवा नहीं, के निर्धारण करने का अधिकार आयोग का होगा एवं इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
4. साक्षात्कार के लिए यात्रा व्यय स्वयं अभ्यर्थी के द्वारा वहन की जाएगी, परन्तु छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के केवल बेरोजगार अभ्यर्थियों को उनके द्वारा बस/रेल टिकट प्रस्तुत किये जाने पर साधारण दर्जे का वास्तविक किराया राशि की पात्रता होगी।
- 5.1 साक्षात्कार के समय आवेदित पद से संबंधित शैक्षणिक अर्हता विज्ञापन की कंडिका 7 अनुसार उम्मीदवार के पास होना चाहिए।" यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंक सूची (सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) प्रमाण पत्र, मुख्य परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 09.06.2016 तक का अथवा उसके पूर्व का होना अनिवार्य है। उक्त तिथि के बाद के अंकसूची/डिग्री/प्रमाण पत्र/नवीन प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। साक्षात्कार के पूर्व विज्ञापन के अनुसार निर्धारित अर्हता, आयु सीमा छूट क्लेम किया हो तो तत्संबंध में दस्तावेज, आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन हो तो निर्देश पैरा 2.5 एवं 2.6 अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अभाव में आपको साक्षात्कार के लिए अनर्ह कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- 5.2 शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंक सूची (सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) व प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो-दो छायाप्रति प्रस्तुत करें।
- 5.3 यह स्पष्ट किया जाता है कि साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा।
- 5.4 विज्ञापन की कंडिका 8 के अनुसार आयु की गणना 01/01/2015 से की जायेगी।

सही/—
परीक्षा नियंत्रक
छ.ग. लोक सेवा आयोग
रायपुर

ऑनलाइन अग्रमान्यता दर्ज करने से पहले उक्त निर्देशों का अत्यंत सावधानीपूर्वक अध्ययन कर उन्हें भली-भांति समझ लें, उसके बाद ही निम्न लिंक को क्लिक कर ऑनलाइन अग्रमान्यता दर्ज करें—

<https://cdn.digialm.com//EForms/configuredHtml/938/51326/login.html>

निर्देशों का शब्दशः पालन न करने की स्थिति में अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा और इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संबंध में आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।